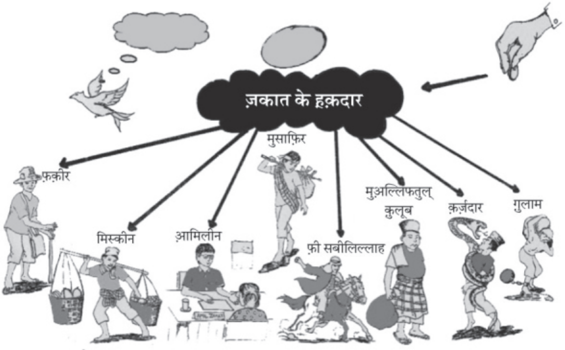

विषय–सूची

01.	पेश लफ़्ज़	04
02.	ज़कात की अहमियत	08
03.	ज़कात के हक़दार	11
04.	ज़कात किसको नहीं लगती?	15
05.	ज़कात से सम्बंधित कुछ और पहलू	33
06.	किस माल पर कितनी ज़कात?	41
07.	लोगों में दर्जों का फ़र्क़ : अल्लाह की अज़ीम ह़िक्मत	46
08.	माँगने से बचने की ताकीद	49
09.	माँगना पड़ जाए तो	58
10.	अपना जाइज़ा लीजिये	70

ज़कात के हक़दार

ज़कात अदा करना अपनी जगह अहम इबादत है लेकिन इसके हक़दार कौन-कौन हैं और किन लोगों का इस पर कोई हक़ नहीं है; ये जानना इस इबादत की अदायगी के लिये भी ज़रूरी है। क़ुर्आने हकीम में इर्शाद है,

'सदक़ात (ज़कात) तो सिर्फ़ फ़ुक़रा और मसाकीन के लिये हैं और उनके लिये जो ज़कात जमा करने पर मामूर हों, जिनकी तालीफ़े क़ल्ब मत़लूब हो, नीज़ ये गर्दनों को छुड़वाने वाले और मक़रूज़ की मदद करने और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफ़िरों के लिये है, ये अल्लाह की तरफ़ से आइद किया हुआ फ़रीज़ा है और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है।' (सूरह तौबा : 60)

अल्लाह तआला ने इस आयत में आठ जगहों का ज़िक्र किया है, जिन पर ज़कात ख़र्च की जा सकती है और उनकी वज़ाहत इस तरह है,

01. फ़ुक़रा : फ़क़ीर की जमा (बहुवचन), ऐसा मुसलमान जिसके पास अपनी हाजतों व ज़रूरतों को पूरा करने के लिये उनका आधा हिस्सा भी मौजूद न हो या'नी माली लिहाज़ (आर्थिक रूप) से वो निहायत ही ख़स्ताहाल हो।

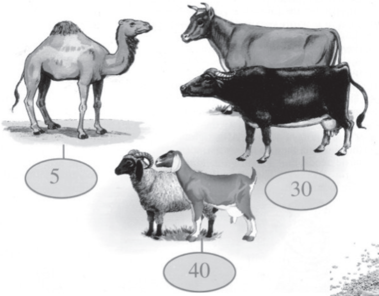

किस माल पर कितनी ज़कात?

माल की नीचे दर्ज की गई क़िस्मों पर ज़कात आइद होती है।

01. सोना : ज़ेवरात हों या बिना घड़ा हुआ। साढ़े सात तौला यानी 87 ग्राम या उससे ज़्यादा एक साल अपने पास मौजूद रहा हो तो उस सारे सोने पर **ढाई फ़ीसद** के हिसाब से ज़कात होगी।

02. चाँदी : ज़ेवर हो या किसी भी चीज़ की सूरत में, सबको मिलाकर साढ़े बावन तोला यानी 616 ग्राम या उससे ज़्यादा हो और एक साल तक चाँदी अपनी मिल्कियत में रही हो तो तमाम चाँदी पर **ढाई फ़ीसद** के हिसाब से ज़कात होगी।

03. करेन्सी (नोट) : अगर करेन्सी की मिक़्दार हद्दे ज़कात तक पहुँचने वाली चाँदी की क़ीमत के बराबर पूरे साल अपनी मिल्कियत में रही हो तो उस तमाम करेन्सी पर **ढाई फ़ीसद** के हिसाब से ज़कात होगी। अक्सर उलमा का ये ख़्याल है कि चाँदी या सोने में से जो भी किसी दौर में कम क़ीमत हो, उसकी हद्दे ज़कात की मालियत के बराबर मौजूद करेन्सी पर ज़कात आइद होगी; जैसे चाँदी की क़ीमत 500 रूपये फ़ी तौला हो तो 26250